

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या-15/आरोप (वैशाली) 02-33/2026-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-517(3) दिनांक-09.03.2026 के आलोक में गठित त्रि-सदस्यीय टीम द्वारा अंचल कार्यालय महुआ का दिनांक-12.03.2026 एवं 13.03.2026 को किये गये निरीक्षण के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर श्री मनी कुमार वर्मा, अंचल अधिकारी, महुआ, वैशाली के विरुद्ध दाखिल खारिज के मामलो को बड़ी संख्या में लंबित रखने, त्रुटि सुधार के नाम पर बड़ी संख्या में आवेदन लौटाने, वादों के निष्पादन में फीफो का अनुपालन नहीं करने, परिमार्जन प्लस से संबंधित आवेदनों को बड़ी संख्या में लंबित रखने, ई-मापी, राजस्व महाअभियान बसेरा, अतिक्रमण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया।

2. आरोप पत्र में अंकित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-833(15), दिनांक-16.06.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री वर्मा द्वारा दिनांक-23.06.2026 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त तथा सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-29.07.2026 को बिहार राजस्व संयुक्त महासंघ (बिरसा एवं बिरसा यूनाईटेड का संयुक्त मोर्चा) के प्रतिनिधियों के साथ की गई वार्ता की कार्रवाई-की-कंडिका-3 में उल्लेखित है कि - "बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध सामूहिक अवकाश की अवधि में निगरानी, ट्रैप केस एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता के मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में प्रारम्भ की गई सभी प्रकार की कार्रवाइयां यथा-निलम्बन, स्पष्टीकरण आरोप पत्र, प्रपत्र 'क' जनगणना अधिनियम के तहत अधिरोपित अर्थ दंड, इत्यादि जो विभाग स्तर/मुख्यालय स्तर/जिला स्तर एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालय से प्रारम्भ हुई है, को समाप्त किया जायेगा एवं सभी पदाधिकारी पूर्व के अधिसूचित पद तथा कार्यालय में योगदान में समर्पित करेंगे" के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप प्रकरण को "संचिकास्त" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनी कुमार वर्मा, अंचल अधिकारी, महुआ, वैशाली से संबंधित आरोप प्रकरण को "संचिकास्त" किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हं०/-

(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-15/आरोप (वैशाली) 02-33/2026-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, वैशाली/श्री मनी कुमार वर्मा, अंचल अधिकारी, महुआ, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ई-मेल/
निबंधित

हं०/-

(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक:-15/आरोप (वैशाली) 02-33/2026-1461(15)/सा0, पटना-15, दिनांक-09/9/26

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।